



न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या : अपील/टीए/6214/2002/भरतपुर

शान्तीदेवी पुत्री हेतराम पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बांसी तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. लक्ष्मीदेवी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी लुहासा तहसील नदबई हाल आबाद डेहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. जलसिंह पुत्र सीता जाति जाट निवासी सावोरा तहसील कुम्हेर हाल आबाद डेहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. रामकली पुत्री हेतराम पत्नी सीता जाति जाट निवासी सावोरा तहसील कुम्हेर
4. बच्चू
5. रज्जो
6. हरवीर उर्फ मोडा
7. किल्ली उर्फ मुकेश
8. दिनेश
9. जगनी
10. शेखर
-पिसरान घीसी जाति जाट निवासीगण लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. घीसी पुत्र लदूर जाति जाट निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर
12. महारानी पत्नी जलसिंह जाति जाट निवासी सावोरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
13. उपपंजीयक, नदबई जिला भरतपुर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
15. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कुम्हेर

.....प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण

(2) प्रकरण संख्या : अपील/टीए/6235/2002/भरतपुर

शान्तीदेवी पुत्री हेतराम पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बांसी तहसील भरतपुर

.....अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. जलसिंह पुत्र सीता जाति जाट निवासी सावोरा तहसील कुम्हेर हाल आबाद डेहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

अपील/टीए/6214/2002/भरतपुर
शान्तीदेवी बनाम लक्ष्मीदेवी व अन्य
अपील/टीए/6235/2002/भरतपुर
शान्तीदेवी बनाम जलसिंह व अन्य

2. रामकली पुत्री हेतराम पत्नी सीता जाति जाट निवासी सावोरा तहसील कुम्हेर
3. बच्चू
4. रज्जो
5. हरवीर उर्फ मोडा
6. किल्ली उर्फ मुकेश
7. दिनेश
8. जगनी
9. शेखर
-पिसरान घीसी जाति जाट निवासीगण लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर
10. घीसी पुत्र लटूर जाति जाट निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. लक्ष्मीदेवी पुत्री हेतराम पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी लुहासा तहसील नदबई हाल आबाद डेहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. उपपंजीयक, नदबई जिला भरतपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
14. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कुम्हेर
15. महारानी पत्नी जलसिंह जाति जाट निवासी साबोरा तहसील कुम्हेर हाल डेहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

...प्रत्यर्थागण/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित:-

अपील संख्या: (6214/2002)

श्री खडगसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी

श्री एस0के0सेठी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 14

अपील संख्या: (6235/2002)

श्री खडगसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी

श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थागण

निर्णय

दिनांक:-28-02-2018

यह दोनों द्वितीय अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं. 185/2000 व अपील संख्या 245/2000 में पारित एक ही निर्णय दिनांक 17-10-2002 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. इन दोनों प्रकरणों में एक ही विवाद बिन्दु होने तथा एक ही आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किए जाने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाए।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर नदबई के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 के तहत वाद पत्र में उल्लेखित ग्राम डेहरा तहसील नदबई स्थित विवादित आराजियात कुल किता 32 कुल रकबा 41 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1,3 व 11 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वाद को रूपये 5,000/- सव्यय से खारिज करने का निवेदन किया। दिनांक 15-11-1999 को प्रतिवादी पंजाब नेशनल बैंक ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वाद को सव्यय रूपये 2,000/- खारिज करने का निवेदन किया। कालान्तर में दिनांक 11-1-2000 को प्रतिवादी लक्ष्मीदेवी ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वाद को डिक्री करने में कोई आपत्ति प्रस्तुत करना कथित किया। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को स्वीकार करते हुए वाद/वादिनी को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। वादिनी के वाद बाबत विचारण न्यायालय ने वाद पत्र, जवाबदावे व गवाहान के बयानात, उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर 10 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक पर विश्लेषण करते हुए अपनी आज्ञा दिनांक 14-7-2000 द्वारा वादिनी के दावे को स्वीकार करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त एक ही निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष लक्ष्मीदेवी ने एक अपील प्रस्तुत की, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 185/2000 बउनवान लक्ष्मीदेवी बनाम जलसिंह वगैरहा व जलसिंह द्वारा प्रस्तुत अन्य अपील संख्या 245/2000 बउनवान जलसिंह बनाम शान्तीदेवी संस्थित की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रस्तुत

दोनों अपीलों को एकजाई करते हुए अपने एक ही निर्णय दिनांक 17-10-2002 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित एक ही निर्णय दिनांक 17-10-2002 से व्यथित होकर हस्तगत दोनों अपीलें मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत है। उनका कहना है कि मामले में विचारण न्यायालय ने वादिनी के वाद को विधि के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिनांक 26-6-2000 से डिक्री किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। इस प्रकार आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटिकारित की है। उन्होंने आक्षेपित निर्णय को व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों के विपरीत होना कहा है। उन्होंने बताया कि अपीलीय न्यायालय ने अपना निर्णय तनकीवार नहीं कर विधायिका की मंशा के विपरीत कृत्य किया है। आगे बताया कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के समस्त तथ्य व दस्तावेजात होने के बावजूद भी तहत न्यायालय के विधि सम्मत निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में अनियमितता की है, जबकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजात उपलब्ध थे। उनका आगे कहना है कि पूर्व खातेदार हेतराम की चार पुत्रियां थी, इस कारण वे विरासत के आधार पर हिस्सेदार थी। इसके विपरीत प्रतिवादीगण का आधार दीवानी न्यायालय से संबंधित है। उनका मुख्य कथन है कि बिना सभी सहकाशकारों के मध्य विधिवत बंटवारा हुए अथवा सहमति हुए कथित वसीयत की प्रमाणिकता शून्य प्रभावी है। इस कारण मामले में जलसिंह कोई विवादित आराजी के विशिष्ट भूभाग पर न

तो कोई कब्जा प्राप्त हुआ तथा न ही ऐसा सम्भव है। उनका तर्क है कि मामले में निष्पादित वसीयत बाबत वादिनी की कोई सहमति नहीं है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से सम्पादित की गई है। उनका यह भी तर्क है कि वसीयत के आधार पर जलसिंह को आराजी पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है तथा जलसिंह को वसीयत के आधार पर अपना हक बाबत दीवानी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति में वादी के वाद को डिक्री करने में विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई त्रुटिकारित नहीं की है। इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-10-2002 को निरस्त कर सहायक जिला कलक्टर नदबई द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-6-2000 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में 1994 आरबीजे पेज 609, 1997 आरआरडी पेज 320, 1992 आरआरडी पेज 213 एवं 1995 आरआरडी पेज 533 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय को न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा विधिसम्मत होना बताया है। उनका कहना है। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार हेतराम थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात कंचन ने अकेले भूमि को अपने नाम करवा ली। कालान्तर में कंचन ने जलसिंह के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करा दिया। उक्त वसीयत में वादिनी की सहमति थी। उनका कहना है कि वसीयत के आधार पर भूमि जलसिंह व लक्ष्मी के पक्ष में आधे-आधे हिस्से में आई। आगे बताया कि वादिनी अपने ससुराल में निवास करती है तथा भूमि से वादिनी का कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि हेतराम की बेवा कंचन की पुत्री रामकली का पुत्र जलसिंह है, इस कारण कंचन ने जलसिंह व लक्ष्मी के पक्ष में वसीयत की है। उनका मुख्य कथन है कि अधिनियम की धारा 53 के तहत केवल खातेदार कृषक ही भूमि का विभाजन कराने की पात्रता रखते हैं। मामले में वादिनी भूमि की

खातेदारान नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 188 का वाद भी खातेदार ही दायर करा सकता है। आगे बताया कि निष्पादित वसीयत को दीवानी न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादिनी को आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं मिल सकते हैं। आगे बताया कि वादिनी ससुराल में रहने के कारण कभी भी अपने पीहर नहीं आई न ही माता की सेवा-सुषुशा की है। उनका आगे कहना है कि मृतक खातेदार हेतराम का देहान्त वर्ष 1965 में ही हो चुका था तथा खातेदार की मृत्यु के उपरान्त वादिनी ने 35 वर्ष की एक अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात दावा दायर किया है, जो कि चलने योग्य नहीं है। इस कारण अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपीलों को आक्षेपित आदेश द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर मामले को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-10-2002 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

8. प्रकरण में यह सर्वमान्य स्थिति है कि मृतक खातेदार हेतराम के पुत्र नहीं होने की स्थिति में भूमि बेवा कंचन पर धारित हुई है तथा कंचन की चार पुत्रियां रामकली, केशमति, लक्ष्मी, शांतिदेवी हैं। वादिनी शांतिदेवी ने विवादित आराजियात के क्रम में अधिनियम की धारा 88, 89, 53 व 188 के तहत वाद दायर कर निवेदन किया कि चूंकि विवादित आराजी में वादिनी व प्रतिवादीगण का शामिल काश्त करना सम्भव नहीं है इसलिए विवादित आराजी को वादिनी व प्रतिवादीगण के मध्य चार हिस्से में बराबर कुरे किए जावे व राजस्व रेकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन कर वादिनी को उसके 1/4 हिस्से पर

खातेदार काशतकार घोषित किया जावे। उक्त वाद के क्रम में सहायक जिला कलक्टर नदबई ने निर्णय दिनांक 26-6-2000 पारित किया है।

9. विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय इस आशय के साथ पारित किया कि विवादित आराजी का वादिनी शांतिदेवी को 168/839, प्रतिवादीगण 4 ता 11 बच्चू, रज्जो, हरवीर, किल्ली, दिनेश, जगदीश, शेखर, घीसी को 168/839 भाग का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। प्रति. नं. 2 लक्ष्मीदेवी ने अपने हिस्से की साठे इकतीस बीघा भूमि का विक्रय कर दिया है जो उसके 1/5 हिस्से से कम करते हुए उसे 136/839 भाग का सहखातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं. 1 जलसिंह को 351/839 व प्रतिवादीनी संख्या 12 महारानी को 16/839 भाग का सहखातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। बैंक के रहन का इन्द्राज संबंधित काशतकार के हिस्से में यथावत रहेगा।

10. मामले की परिस्थिति के मद्देनजर हम निम्न न्यायिक दृष्टान्त को उद्धरते करना उचित समझते हैं:-

Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 7217 of 213 in which the Hon'ble Supreme Court has held that:-

1. "The only issue which has been raised in this batch of matters is whether Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (the Amendment Act) will have retrospective effect. In the impugned judgment (report in AIR 2011 Kar. 78 Pulawati Vs. Prakash), plea of retrospectively has been upheld in favour of the respondents by which the appellants are aggrieved".

18. "Contention of the respondents that the Amendment should be read as retrospective being a piece of social legislation cannot be accepted. Even a social legislation cannot be given retrospective effect unless so provided for or so intended by the legislature. In the present case, the legislature has expressly made the Amendment applicable on and from its commencement and only if death of the coparcener in question is after the Amendment. Thus, no other interpretation is possible in view of express language of the statute. The proviso keeping dispositions or alienations or partitions prior to 20th December, 2004 unaffected can also not lead to the inference that the daughter could be a coparcener prior to the commencement of the Act"

22. "In this background, we find that the proviso to section 6(1) and sub-section (5) of Section 6 clearly intend to exclude the transactions

referred to therein which may have taken place prior to 20th December, 2004 on which date the Bill was introduced. Explanation cannot permit reopening of partitions which were valud when effected".

23. "Accordingly, we hold that the rights under the amendment are applicable to living daughters of living coparceners as on 9th Septemeber, 2005 irrespective of when such daughters are born. Disposition or alienation including partitions which may have taken place before 20th December, 2004 as per law applicable prior to the said date will remain unaffected. Any transaction of partition effected thereafter will be governed by the explanation".

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधित प्रावधान निम्नानुसार है:-

The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 stipulates that from commencement of the amended Act of 2005 the daughter of a coparcener shall by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son. It is apparent that if sons under the old sections of Hindu Law were treated as coparceners since birth, the amended section recognized the rights of daughter, similarly. The amendment in the Hindu Succession Act comes into effect on and from 9th September, 2005 and the section cannot be applied retrospectively prior to the amendment when the legislature itself has specified the postenor date from which the Act comes into force. This is the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India. The judgment and decree of the learned Settlement Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Bharatpur dated 20.9.2001 precedes the Hindu Succession (Amendment) Act 2005. The findings are therefore sustainable in law.

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 जलसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 मु० लक्ष्मीदेवी ने जरिये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 7-8-1990 को मु० कंचन बेवा हेतराम से प्राप्त की है। जो कि मु० कंचन प्रतिवादी संख्या 1 जलसिंह की रिश्ते में नानी लगती थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मीदेवी की माता थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी मु० कंचन के पति हेतराम की स्वअर्जित भूमि है, जिसका दाखिल खारिज हेतराम की मृत्यु के पश्चात उसकी बेवा कंचन के नाम नियमानुसार सही दर्ज हुआ है। चूंकि मु० कंचन के कोई पुत्र नहीं था और उसकी चारों पुत्रियां शादीशुदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। कंचन एक वृद्ध औरत थी और उसने अपनी सेवा के लिए अपनी पुत्री रामकली का पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 जलसिंह को अपने पास अपनी सेवा

के लिए रखा। प्रतिवादी संख्या 2 मु0 लक्ष्मीदेवी मु0 कंचन की पुत्री है। मु0 कंचन ने अपने जीवनकाल में ही समस्त चल व अचल सम्पत्ति का पंजीकृत बयनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 7-8-1970 को तहरीर कर दिया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादिनी को पहले से ही विवादित आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम होने का इल्म था और वादिनी को तीन साल के अंदर वाद पेश करना चाहिए था, जबकि इस प्रकरण में लगभग 35 वर्ष बाद पेश किया गया है।

11. विधिक स्थिति यह है कि पक्षकारान आपस में माता एवं पुत्रियां हैं। संयुक्त परिवार में रहने के कारण पुत्रियां अपनी माता के द्वारा किए गए कृत्य से बाध्य हैं यदि पारिवारिक सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो गया है और उनमें से कोई सदस्य उसे चुनौती देना चाहे, तो उस हस्तान्तरण को निरस्त कराने के लिए संबंधित सिविल न्यायालय में वाद दायर करना पड़ेगा, राजस्व न्यायालय में उन्हें दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार वादिनी शांतिदेवी को राजस्व न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा कराने का दावा करने के बजाए सक्षम सिविल न्यायालय में प्रतिवादी के पक्ष में किए गए वसीयतनामे को निरस्त कराने के लिए दावा करना चाहिए था। अपीलार्थी को राजस्व न्यायालय में दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। वसीयतनामे को अपीलार्थी/वादिनी द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में आदिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है। विधिक स्थिति यह भी है कि पुत्रियां कोपार्सनर नहीं होती हैं अर्थात् माता कंचन व पुत्री शान्तीदेवी फिमेल कोपार्सनर नहीं हैं। कोपार्सनर सम्पत्ति में पुत्र को जन्म से अधिकार हो जाता है। इस प्रकरण में वादग्रस्त आराजी कंचन के पति हेतराम की मृत्यु के बाद उसकी बेवा कंचन के नाम जरिये नामान्तरण हो गई थी। अपीलार्थी द्वारा इस नामान्तरण को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए कंचन के नाम आराजी आ जाने से उसे हस्तान्तरण वसीयतनामा आदि निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार था। धारा 41 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने हकों को छोड़ते हुए दूसरे व्यक्ति के नाम सम्पत्ति इस तरह से कर दें कि तीसरा व्यक्ति उसे क्रय कर ले तो बाद में असल मालिक को उस हस्तान्तरण को चुनौती देना का अधिकार नहीं है। जब वसीयतनामा

अपील/टीए/6214/2002/भरतपुर
शान्तीदेवी बनाम लक्ष्मीदेवी व अन्य
अपील/टीए/6235/2002/भरतपुर
शान्तीदेवी बनाम जलसिंह व अन्य

अभिलिखित खातेदार ने निष्पादित कराया है तो वह तब तक वैधानिक है तब तक कि उसे सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी/वादिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 88, 89, 53 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अपने तर्कों के संबंध में जिन न्यायिक दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया है, उनके तथ्य प्रकरण की वर्तमान परिस्थिति से भिन्न होने के कारण चर्चा नहीं होते हैं।

12. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह दोनों अपीलें खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 17-10-2002 तथा सहायक जिला कलक्टर नदबई द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-6-2000 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी/वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष